भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2916**

12.12.2016 को उत्तर के लिए

**महत्वपूर्ण वन्यजीवों के पर्यावास की घोषणा हेतु संशोधत दिशा-निर्देश**

**2916. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में महत्वपूर्ण वन्यजीवों के पर्यावास की घोषणा हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क), (ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और अन्‍य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम, 2006 की धारा 2(ख) के उपबंधों के अनुसार अत्‍यधिक महत्‍वपूर्ण वन्‍यजीव पर्यावासों की घोषणा हेतु नियम बनाने का प्रस्‍ताव किया था। विधि और न्‍याय मंत्रालय ने इंगित किया है कि उक्‍त अधिनियम के अंतर्गत कोई स्‍पष्‍ट प्रावधान नहीं है जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नियम बना सकते हैं और यह कि मंत्रालय नियमों को बनाने के स्‍थान पर अधिसूचना जारी कर सकता है। इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**\*\*\*\***